न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 140/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति सीरवी, नि0 गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली	1	उदयराज पुत्र लखाराम जातिमाली, नि0 ढुण्ढा लाम्बोडी, तह0 सोजत
	2	उदाराम पुत्र नारायणलाल
	3	सेसाराम पुत्र नारायणलाल
	4	घेवरराम पुत्र गंगाराम
	5	छगनाराम पुत्र गंगाराम
	6	देवाराम पुत्र गंगाराम
	7	मांगीलाल पुत्र गंगाराम
	8	मुलाराम पुत्र पुखाराम
	9	राणाराम पुत्र पुखाराम, जातियान माली, नि0 गुडाकलां तह0 सोजत जिला पाली।
	10	मृतक बस्तीराम पुत्र नारायणलाल के वारिसानः–
	10/1	अणदाराम पुत्र बस्तीराम
	10/2	बाबुलाल पुत्र बस्तीराम
	10/3	पानी देवी पत्नि बस्तीराम
	10/4	कौशल्या पुत्री बस्तीराम, जातियान माली, निवासीगण बडलिया, गुडाकलां, तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

दिनांक :–28.07.2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ढुण्ढा लाम्बोडी, प0ह0 गुडारामसिंह, तह0 सोजत मे स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 741 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 742 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 742 रकबा 2.0400 हैक्टर बा0अ0 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 741 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 1955 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ढुण्ढा लाम्बोडी, प0ह0 गुडारामसिंह, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 741

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 742 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/4 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 24.02.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7, एवं 10/3, की ओर से श्री भारतनाथ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। जबाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करना चाहने से दिनांक 28.07.2022 को जबाब प्रा0 पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत से क्रमांक/राजस्व/2022/1801 दिनांक 29.06.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्राप्त हुई। सा0मि0 की गई।

तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ाकलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि आज दिनांक 15.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार, सोजत के क्रमांक/राजस्व/2022/1355–56 दिनांक 18.05.2022 की अनुपालना में पटवार मण्डल गुडा रामसिंह के ग्राम ढुण्ढा लाम्बोडी के खसरा नंबर 741, 742, 736 के मौके पर पहुचे। खसरा नंबर 742 के पश्चिम की तरफ खसरा नंबर 741 है जोखसरा नंबर 736 किस्म गै0मु0 रास्ता से जुडा हुआ है इसी खसरा नंबर 741 जिसमें से खसरा नंबर 742 से सम्बन्धित खातेदार मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल कौम. सीरवी सा0 गुडा कलां द्वारा 251 क के तहत सलंग्न प्रतिवेदन के साथ नक्शे अनुसार खसरा नंबर 741 में से ए से बी बिन्दु तक 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया। ख0न0 741 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा की तरफ खसरा संख्या 736 गै0मु0 रास्ता सरकारी दर्ज है। रास्ते से खसरा नंबर 741 में से होकर खसरा संख्या 742 में आने हेतु रास्ते की मांग की गई है जिस स्थान से होकर 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है के स्थान पर मौके पर रास्ते के चिन्ह मौजूद है व मौके पर रास्ता बंद कर दिया गया है। बी स्थान के पास सीमेंन्ट के ब्लॉक के द्वारा लोहे के चदर डालकर कोटड़ी बनाई हुई है जो मौके पर मौजूद है व नजरी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है व खसरा नंबर 742 में आने जाने हेतु रास्ता वर्तमान में नही है। मौके पर प्रार्थी द्वारा बताया गया की नक्शे में दर्ज ए से बी स्थान पर होकर रास्ते से खसरा नंबर 742 में आना जाना करते थे लेकिन वर्तमान में सीमेन्ट के ब्लॉक की कोटडी बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे हमारे खेत में खडी मेहन्दी की फसल को निराई गुडाई लाने ले जाने की समस्या खडी हो गई है। राजस्व नक्शे अनुसार खसरा नंबर 742 में आने जाने के लिए सबसे कम दूरी का वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 741 की माठ पर जो ए से बी बिन्दु से नजरी नकशे में दर्शित हैसबसे नजदीक है। मौका फर्द मौके पर बनाया जाकर उपस्थित मौतबिरान को पढकर सुनाई व हस्ताक्षर करवाये गए। खसरा नंबर 742 में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 741 रकबा 1.000 है0 में से (86×6 = 0.0516 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। किन्तु आवागमन हेतु मात्र 4 मीटर चौडा रास्ता प्रर्याप्त है। जिससे वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 187110/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (187110/- रू0 × 2 × 0.0344 है0 = **12873**/- रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 741 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ाकलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हुस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 742 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 741 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ाकलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ढुण्डा लाम्बोड़ी, प0ह0 गुडारामसिंह, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 742 रकबा 2.0400 हैक्टर बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 741 में से (187110/– रू0 × 2 × 0.0344 है0(86×4 वर्गमी0) = **12873/–** रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	741 बा0अ0	1.0000 है0	उदयराज पुत्र लखाराम	0.0344है0 (86 X 4)= **12873 /– रू**	1072/-
2			उदाराम पुत्र नारायण		1072/-
3			सेसाराम पुत्र नारायण		1073/-
4			घेवरराम पुत्र गंगाराम		1073/-
5			छगनाराम पुत्र गंगाराम		1073/-
6			देवाराम पुत्र गंगाराम		1073/-
7			मांगीलाल पुत्र गंगाराम		1073/-
8			मुलाराम पुत्र पुखाराम		2146/-
9			राणाराम पुत्र पुखाराम		2146/-
10			अणदाराम पुत्र बस्तीराम		268/-
11			बाबुलाल पुत्र बस्तीराम		268/-
12			पानी देवी पत्नि बस्तीराम		268/-
13			कौशल्या पुत्री बस्तीराम		268/-
			योगः–	0.0344 है0	**12873/ – रू**

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत